

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रशासन गांव के संग
अभियान-2021

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर
(पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका)

केम्प-कांगणी

प्रकरण संख्या 05/2021

निर्णय दिनांक 22.10.2021.

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च
माध्यमिक विधालय कांगणी
कांगणी तह0 सहाडा जिला भीलवाडा।

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कांगणी व भू0अ0नि0 सहाडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाडा/नायब तहसीलदार सहाडा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कांगणी तहसील सहाडा व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 20... से 20... में खाता संख्या 506 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	कांगणी	506	राजकीय माध्यमिक विधालय कांगणी के नाम दर्ज आराजी न0 856 रकबा 0.65 हे0 किस्म बारानी तृतीय, आराजी नं0 1360 रकबा 1.30 हे0 किस्म गो0मु0 खेल मैदान भूमि रा0मा0वि0 कांगणी के नाम दर्ज हैं।	राजकीय माध्यमिक विधालय कांगणी के नाम दर्ज आराजी न0 856 रकबा 0.65 हे0 किस्म बारानी तृतीय, आराजी नं0 1360 रकबा 1.30 हे0 किस्म गो0मु0 खेल मैदान भूमि को विद्यालय कमोन्नत होने से उक्त भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कांगणी के नाम दर्ज की जाती है।

(राजेश सुवालका)

पीठासीन अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर

(उपखण्ड अधिकारी)

दिनांक 22.10.2021

गंगापुर (भीलवाडा)

प्रकरण संख्या 05/2021/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सहाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कांगणी तह0 सहाडा जिला भीलवाडा। को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

राजेश सुवालका
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर
(उपखण्ड अधिकारी)
दिनांक 22.10.2021
गंगापुर (भीलवाडा)